छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

निविदा प्रपत्र

सहपत्रों की सूचीः–

1.	समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा	01 पृष्ठ
2.	दुग्ध वितरण परिवहन निविदा शेड्यूल	01 पृष्ठ
3.	निविदा की शर्तें	03 पृष्ठ
4.	टेण्डर फार्म	03 पृष्ठ
5.	दुग्ध वितरण हेतु अनुबंध	06 पृष्ठ
6.	मार्ग विवरण	01 पृष्ठ
	कुल सहपत्र	15 पृष्ठ

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक/5484 /छगदुमसं/विपणन/ 2019 **उरला, दिनांक 24.09.2019**

।। दुग्ध विपणन परिवहन हेतु द्वितीय निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के दुग्ध विपणन मार्गों में वाहन परिचालन हेतु दो वर्ष के लिये इंसूलेटेड वाहन हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। वांछित विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाईट www.cgcoopdairyfed.in में उपलब्ध है।

निविदायें दिनांक 10.10.2019 को दोपहर 2:00 बजे दुग्ध महासंघ उरला मुख्य कार्यालय में खोली जायेंगी।

प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय० चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

संदर्भ :–निविदा क्रमांक/**5484**/छगदुमसं/विपणन/ 2019 उरला, दिनांक : 24.09.2019

।। दुग्ध वितरण परिवहन निविदा शेड्यूल।।

1.	निविदा प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	25/09/2019 प्रातः 11:00 बजे से
2.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	10/10/2019 दोपहर 12:00 बजे तक
3.	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	10/10/2019 दोपहर 01:00 बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	10/10/2019 दोपहर 2:00 बजे
5.	निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी राशि .	अर्नेस्ट मनी राशि रूपये 5,000/– का डिमांड ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रायपुर में देय हो अथवा नगद राशि दुग्ध महासंघ के उरला जिला दुर्ग के स्थित कार्यालय में जमा कर, राशि की रसीद संलग्न करना होगा।
6.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रूपये 500/– (पांच सौ रू. मात्र)
7.	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला–बी0एम0वाय0 चरोदा, जिला : दुर्ग (छ0ग0), विपणन शाखा

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

द्वितीय निविदा आमंत्रण की शर्तें

संदर्भ :–निविदा क्रमांक/**5484**/छगदुमसं/विपणन/ 2019 उरला, दिनांक : 24.09.2019

(1) निविदा निहित प्रपत्र पर ही मान्य होगी, प्रत्येक दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक एवं मार्ग विवरण के वाहन हेतु अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करना होगा। स्टैंडिंग वाहन हेतु पृथक से उपलब्ध निविदा प्रपत्र में ही दरें दी जानी हैं। निविदाकार को मार्ग की क्षमतानुसार निर्धारित वाहन उपलब्ध करानी होगी।

(2) स्टैंडिंग वाहन के रूप में 2.0 टन क्षमता की इंसूलेटेड वाहन उपलब्ध करानी होगी। यह वाहन आवश्यक रूप से वाहन स्टॉफ के साथ उरला संयंत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक किसी भी आवश्यकता हेतु तैयार रखनी होगी। वाहन आवश्यकतानुसार विभिन्न मार्गो पर भेजी जा सकेगी, जिसके लियें उन्हें उस मार्ग की स्वीकृत परिवहन राशि देय होगी। आवश्यकता न होने पर वाहन निर्धारित समय तक खड़ी रहेगी जिसके लियें निविदा में स्वीकृत राशि देय होगी। स्टैंडिंग वाहन के निविदाकार को ऐसे स्टॉफ नियोजित करने होंगे जिन्हें समस्त मार्गो की उचित जानकारी हो।

(3) निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नहीं होगी।

(4) बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा/निविदायें मान्य नहीं होगी। रसीद/ड्राफ्ट आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। ऐसे निविदाकार जिन्होनें कार्यालयीन निविदा क्रमांक/3588/छगदुमसं/विपणन/निविदा 2019–20 उरला, दिनांक 29.07.2019 में धरोहर राशि के साथ निविदाए प्रस्तुत की है, तथा उन्हें वाहन संचालन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें इस निविदा में पृथक से धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य नहीं होगा, परंतु द्वितीय निविदा आमंत्रण में दी जा रही निविदा में प्रथम निविदा में जमा की गई धरोहर राशि का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) निविदा लिफाफा ठीक से मुहरबंद होना चाहिये।

(6) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात निविदा क्रमांक एवं दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहॉ निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

(7) निविदा में दर प्रति कि.मी./प्रति ट्रिप, माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है । दरें प्रति किलोमीटर हैं या प्रति ट्रिप स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।

(8) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। वाहन संचालन अनुबंध में संचालित हो रही वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज किया जावेगा। बिना पूर्व अनुमति/सूचना के आदेशित वाहन के इतर अन्य वाहन लगाये जाने पर इस अवधि के परिवहन देयक में 50 प्रतिशत राशि का कटौत्रा किया जावेगा।

(9) वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए। अन्य दस्तावेज भी नवीनीकृत होने चाहिये। स्वीकृत होने पर संपूर्ण निविदा अवधि में वाहन एवं चालकों के समस्त वांछित दस्तावेज अद्यतन नवीनीकृत रखना निविदाकार की जिम्मेवारी होगी ।

(10) आदेश देने के पश्चात 03 दिवस में वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु गठित समिति जिसमें सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी), सहायक महाप्रबंधक (विपणन) एवं प्रभारी गुण नियंत्रण होंगे के समक्ष संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा में वाहन न लाने पर धरोहर राशि राजसात करते हुये निविदा निरस्तीकरण एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को कार्य आबंटन किया जा सकेगा। निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर या निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

(11) सफल निविदाकार को जमानत राशि के रूप में कुल रू. 20,000.00 धरोहर राशि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित में जमा करानी होगी। इसमें रू. 15,000.00 नगद या परिवहन देयक से और रू. 5,000.00 निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि शामिल हैं। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

(12) इन्सुलेटेड वाहन की टेण्डर अवधि 2 वर्ष की होगी। निविदा अवधि समाप्ति के बाद प्रबंध संचालक का यह अधिकार होगा कि वह ठेका अवधि तीन या अधिक माह तक समान दर पर बढ़ा सकेंगे। इन्सूलेटेड वाहन हेतु निविदा स्वीकृति की दशा में वाहन खराब होने पर समान क्षमता की इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था पूर्व सूचना के साथ करनी होगी। अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम 3 दिनों के लिये कंडिका क्रमांक 8 के अनुरूप कार्यवाही करते

हुये उपयुक्त क्षमता की सामान्य वाहन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संचालित की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति निर्मित होने का दस्तावेजी प्रमाण वैकल्पिक व्यवस्था के आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(13) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी। स्वीकृत निविदा के अतिरिक्त शेष निविदाकारों को समान दरों पर वाहन संचालन में सहमत होने पर उनकी सहमति से उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। प्रतीक्षा सूची के निविदाकारों की धरोहर राशि बिना ब्याज के रोकी जायेगी। प्रतीक्षा सूची के निविदाकार को स्वीकृत निविदा के निविदाकार के संतोषप्रद तरीके से वाहन संचालन में असमर्थ रहने पर वाहन संचालन का अवसर दिया जावेगा।

(14) निविदा के संदर्भ में निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें पर सहमति सूचक हस्ताक्षर करते हुये इन्हें निविदा निहित प्रपत्र में संलग्न करना होगा।

(15) संचालक मण्डल अथवा महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें आपत्ति /जानकारी प्राप्त होने पर निरस्त कर दी जावेंगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद संबंध ज्ञात होने पर जॉच कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा प्रतिभूति रशि राजसात कर ली जावेगी।

(16) ऐसे वाहन ठेकेदार जो गत वर्ष अनुबंधित किये गये थे तथा जिनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा, की निविदा, कमेटी/प्रबन्ध संचालक द्वारा अमान्य की जा सकेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(17) वितरण वाहन ठेकेदार को वितरण कार्य समय पर संपादित करना आवश्यक होगा। सामान्य स्थिति में वाहन अंतिम पाईन्ट पर प्रातः 7 बजे तक पहुॅचना आवश्यक होगा । 7.15 के बाद वाहन पहुॅचने पर उस दिन का परिवहन देयक नहीं दिया जावेगा।

(18) निविदा को आंशिक/पूर्णरूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के पास सुरक्षित रहेगा।

(19) आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि शासकीय नियमानुसार परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी। साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तद्नुसार कटौती की जावेगी।

(20) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।

(21) पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा की वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करे। यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।

(22) निविदा स्वीकृत होने पर 100 रू. के नान ज्यूडिशियल स्टांम्प पेपर के साथ एवं अन्य शर्तें वाटर मार्क पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(23) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। वाहन संचालन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।

(24) वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्राप्त होने के 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। साथ ही दुग्ध विपणन वाहन पर दुग्ध महासंघ का सम्पर्क मोबाईल नंबर लिखवाना होगा।

(25) अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही उपयोग किया जावेगा।

(26) समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र रायपुर ही रहेगा।

(27) यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित अथवा काली सूची (ब्लेक लिस्ट) में डाला गया है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा। साथ यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नही किया जावेगा तथा जमा अर्नेस्ट मनी राजसात की जा सकेगी।

(28) दुग्ध विपणन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स की राशि निविदा दर में सम्मिलित करें। निविदा खोलने की तिथी के बाद प्रारंभ हो रहें टोल टेक्स की राशि की प्रतिपूर्ति महासंघ द्वारा इनकी रसीदे संलग्न करने पर की जायेगी।

(29) अनुबंध अवधि में किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम न्यूनतम निविदा दर वाले द्वारा वाहन नही लगाया जाता या अनुबंध अवधि में बीच में वाहन बंद किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को वाहन चलाने हेतु आदेश किया जा सकेगा।

(30) रास्ते में वाहन खराब होने पर वाहन टेकेदार को अपनी जिम्मेदारी तथा व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा दूध/दुग्ध पदार्थ को निश्चित जगह पर निर्धारित समय पर पहुॅचना होगा। ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की कोई प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नहीं की जावेगी। व्यवस्था में विलंब होने पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ की गुणवत्ता खराब होने से इनकी राशि परिवहन ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

वाहन लोडिंग के पूर्व खराब होने पर कंडिका क्रमांक 8 पर दर्ज विवरण अनुसार कार्यवाही करते हुये वैकल्पिक वाहन से वितरण कार्य संपादित कराना होगा । किसी भी दिन वितरण कार्य में असफल रहने पर उस दिन के आदेशित दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपभोक्ता दर पर राशि दंड स्वरूप परिवहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी तथा उस दिन के परिवहन देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा । ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यदि महासंध वैकल्पिक व्यवस्था कर वितरण कार्य संपन्न कराता है तो ऐसी प्रत्येक घटना पर इस व्यवस्था में हुये अतिरिक्त व्यय की राशि दस हजार रूपये के अर्थदंड के साथ वसूल की जावेगी ।

(31) वाहन लोडिंग के बाद यदि इसमें वितरण शीट से अधिक संख्या में मिल्क क्रेट, कैन, दूध पैकेट, दुग्ध उत्पाद पैकेट पाए जाते हैं, तो निम्नानुसार राशि का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा :–

अतिरिक्त क्रेट एवं कैन की वास्तविक राशि

पाए गयें अतिरिक्त दूध/दुग्ध पदार्थ की उपभोक्ता दर पर राशि का दस गुना

(32) वाहन ठेकेदार से की जाने वाली वसूली राशियों को वाहन ठेकेदार के पेंडिंग बिल या धरोहर राशि से वसूल करने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। वसूली योग्य राशि पेंडिग बिल, धरोहर राशि से अधिक होने पर परिवहन ठेकेदार को यह राशि जमा करने की व्यवस्था करनी होगी। समय पर इस प्रकार राशि जमा न होने पर महासंघ कानूनी कार्यवाही करते हुयें राशि वसूली कर सकेगा।

(33) विशेष परिस्थितियों में दूध की मात्रा कम होने पर अस्थाई तौर (अपरिहार्य कारणों से) पर दुग्ध मार्ग को बंद किया जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में कोई किराया/क्लेम देय नहीं होगा।

(34) कैन/क्रेटों के लेखेजोखे तथा रखरखाव हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। महासंघ की आवश्यकतानुसार निर्धारित समय सीमा में खाली कैन/क्रेट जमा करानी होगी, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये जा रहें दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

(35) यदि भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में बढ़ोतरी/कमी की जाती हैं तो उसी अनुपात में महासंघ द्वारा वाहन ठेकेदार की परिवहन दर मे संशोधन किया जावेगा। इस हेतु वाहन का औसत निम्नानुसार निर्धारित है :–

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
जीप	15
टाटा ए.सी.ई.	22
महेन्द्रा मैक्स	15
डी.आई. 207	15
पिकअप	15
टाटा 407	10

(36) यदि वाहन ठेकेदार अपनी निविदा अवधि पूर्ण होने से पूर्व वाहन संचालन बंद करता है, तो अनुबन्ध अवधि में वैकल्पिक वाहन लगाने से बकाया निविदा अवधि तक की हुई समस्त हानि की वसूली वाहन ठेकेदार के बकाया परिवहन बिलों व धरोहर राशि इत्यादि से की जावेगी एवं यदि इसके बाद में भी राशि बकाया निकलती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित वसूली की कार्यवाही करेगा।

(37) प्राकृतिक विपदा व हड़ताल जैसे कारणो से अथवा अन्य किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा देय नहीं होगा।

(38) बूथ, एजेंट अथवा दुग्ध वितरक से तात्पर्य मार्ग मे वर्तमान मे चल रहे प्वाइन्ट, बूथ, वितरण केन्द्र तथा भविष्य में महासंघ द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले प्वाइंट से होगा। उनको आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।

(39) वाहन ठेकेदार को छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा बूथ एजेंट, वितरक, संस्था आदि के लिए प्रदायित दूध/दुग्ध पदार्थ प्रदाय करना होगा। दुग्ध वितरण वाहन ठेकेदार को अपने स्तर पर मॉग वितरण में परिर्वतन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(40) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(41) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित नियम एवं शर्तो में आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन कर सकेगा। ऐसे परिवर्तनों की सूचना निविदाकार को दी जायेगी, एवं निविदाकार को तदानुसार वाहन संचालन करना होगा।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। मार्ग में संचालित वाहनों का द्वितीय निविदा फार्म वर्ष 2019–20 ।।

संदर्भ :–निविदा क्रमांक/**5484**/छगदुमसं/विपणन/ 2019 उरला, दिनांकः 24.09.2019

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदाकार का फोटो

महोदय,

मैंने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध विपणन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। अमानत राशि रू. 5000/– (अक्षरी पांच हजार रूपये मात्र) की डी.डी./नगद तथा निविदा नियम शर्तो एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमति हस्ताक्षर कर संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में आपना वाहन नियत दिनॉक एवं समय पर उपलब्ध कराउॅगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) निविदाकार का नाम ————————————————

(2) पिता का नाम ————————————————

(3) स्थायी पूरा पता ————————————————

————————————————

(4) दूरभाष/मोबाईल नंबर ————————————————

(5) निविदा विवरण :–

मार्ग का विवरण	अनुमानित दूरी (मार्ग विवरण में दर्ज अनुसार लिखें)	वाहन का प्रकार	वाहन क्षमता	मॉडल	वाहन क्रमांक	इन्सुलेटेड वाहन दर रू. प्रतिकिलोमीटर/प्रति ट्रिप

(6) वाहन के वैध पंजीयन, अद्यतन बीमा, फिटनेस एवं परमिट सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।

(7) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर ————————————————

(छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम————————
फोन नंबर ————————————
मोबाइल नंबर .....

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। स्टैंडिंग वाहन का निविदा फार्म वर्ष 2019–20 ।।

संदर्भ :–निविदा क्रमांक/**5484**/छगदुमसं/विपणन/2019 उरला, दिनांकः 24.09.2019

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदाकार का फोटो

महोदय,

मैंने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध विपणन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है। यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। अमानत राशि रू. 5000/– (अक्षरी पांच हजार रूपये मात्र) की डी.डी./नगद तथा निविदा नियम शर्तो एवं अनुबंध की कंडिकाओं पर सहमति हस्ताक्षर कर संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में आपना वाहन नियत दिनॉक एवं समय पर उपलब्ध कराउॅगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) निविदाकार का नाम ————————————————

(2) पिता का नाम ————————————————

(3) स्थायी पूरा पता ————————————————

————————————————

(4) दूरभाष/मोबाईल नंबर ————————————————

(5) निविदा विवरण :–

वाहन का प्रकार	वाहन क्षमता	मॉडल	वाहन क्रमांक	प्रति पाली की न्यूनतम देय राशि (इंसुलेटेड वाहन)

(6) वाहन के वैध पंजीयन, अद्यतन बीमा, फिटनेस एवं परमिट सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है ।

(7) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर ————————————————

(छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम————————
फोन नंबर ————————————
मोबाइल नंबर .....

।। घोषणा पत्र ।।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। मुझे छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो दुग्ध महासंघ का निर्णय अंतिम एवं मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार का पूरा नाम : .....

पता : .....

.....

मोबाईल नंबर : .....

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

1 ..... **2** ..... **3** .....

4 ..... **5** ..... **6** .....

7 ..... **8** ..... **9** .....

फोटो द्वितीय पक्ष

दुग्ध विपणन कार्य हेतु अनुबन्ध

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ..... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री..... निवासी... ..... है।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध विपणन मार्ग क्रमांक ———————— मार्ग विवरण ———————————————————————————— द्वितीय पक्ष/वाहन ठेकेदार/की वाहन क्रमांक————————————————माडल ———————— भार वाहन क्षमता———————— टन, रूपये ———————— शब्दों में ———————————————————————————— प्रति कि.मी./प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी ———————— कि.मी. आज दिनांक ———————— जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध विपणन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :–

(1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ———————— से ———————— तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा। आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है ।

(2) इन शर्तों को दुग्ध विपणन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा। शर्तों में जहॉ – जहॉ ं महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला– दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत मुख्य संयंत्र उरला/संबंधित संयंत्र यथा बिलासपुर, अंबिकापुर से होगा ।

(3) स्टैंडिंग वाहन के रूप में 2.0 टन क्षमता की इंसूलेटेड वाहन उपलब्ध करानी होगी। यह वाहन आवश्यक रूप से वाहन स्टॉफ के साथ उरला संयंत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक किसी भी आवश्यकता हेतु तैयार रखनी होगी। वाहन आवश्यकतानुसार विभिन्न मार्गो पर भेजी जा सकेगी, जिसके लियें उन्हें उस मार्ग की स्वीकृत परिवहन राशि देय होगी। आवश्यकता न होने पर वाहन निर्धारित समय तक खड़ी रहेगी जिसके लियें निविदा में स्वीकृत राशि देय होगी। स्टैंडिंग वाहन के निविदाकार को ऐसे स्टॉफ नियोजित करने होंगे जिन्हें समस्त मार्गो की उचित जानकारी हो।

(4) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि/जमानत राशि रूपये 15000/– (अक्षरी रूपये पंन्द्रह हजार मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला–दुर्ग में ड्राफ्ट अथवा नगद रूप में जमा करना होगा या ठेकेदार के आवेदन पर परिवहन देयक से प्रतिभूति राशि कटौत्रा की जावेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदा के साथ जमा की गई रूपये 5000 की अर्नेस्ट मनी उपरोक्त जमानत राशि में समायोजित की जावेगी। इस प्रकार महासंघ के पास द्वितीय पक्ष की कुल 20,000 की राशि सुरक्षा राशि के रूप में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इस राशि की वापसी हेतु अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर विपणन शाखा, लेखा शाखा, सुरक्षा अनुभाग, वितरक एवं अन्य संबंधितो से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करते हुये आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा। लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से प्रथम पक्ष द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा। द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समय समाप्त होने या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित इकाइयों से अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर वाहन लोडिंग हेतु संबधित संयंत्र/स्थान पर लगाकर समय पर वितरण संपन्न कराना तथा खाली क्रेट/कैन नियमित रूप से संयंत्र/शटल पाईंट तक लाना द्वितीय पक्ष की जवाबदारी होगी। इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी ठेकेदार (द्वितीय पक्ष) को मान्य होगी। कैन/क्रेटों के लेखेजोखे तथा रखरखाव हेतु वाहन ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। महासंघ की आवश्यकतानुसार निर्धारित समय सीमा में खाली कैन/क्रेट जमा करानी होगी, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये जा रहें दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

(6) द्वितीय पक्ष को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है।

(7) किसी भी कारण से यदि विपणन मार्ग पर दुग्ध विपणन कार्य बंद रहता है तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा।

(8) द्वितीय पक्ष को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। इसे मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा। वाहन संचालन अनुबंध में संचालित हो रही वाहन का पंजीयन क्रमांक दर्ज किया जावेगा। वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए। अन्य दस्तावेज भी नवीनीकृत होने चाहिये। स्वीकृत होने पर संपूर्ण निविदा अवधि में वाहन एवं चालकों के समस्त वांछित दस्तावेज अद्यतन नवीनीकृत रखना द्वितीय पक्ष की जिम्मेवारी होगी।
बिना पूर्व अनुमति/सूचना के आदेशित वाहन के स्थान पर अन्य वाहन लगाये जाने पर इस अवधि के परिवहन देयक में 50 प्रतिशत राशि का कटौत्रा किया जावेगा।

(9) मार्ग की दूरी प्रथम पक्ष के अधिकारी व वाहन ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति मे सत्यापित की जावेगी। यदि द्वितीय पक्ष या प्रतिनिधि समय पर नहीं आते है तो अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी मान्य होगी।

(10) द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में सम्मिलित नही हो सकेगा। दुग्ध परिवहन नियमित रूप से करना होगा। ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी।

(11) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा।

(12) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा। महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जॉच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा। लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(13) मार्ग पर विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को महासंघ द्वारा भेजे जाने वाले सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए एवं उसका ठीक हिसाब रखने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(14) द्वितीय पक्ष द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार द्वितीय पक्ष को उन पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा। ऐसा न करने पर महासंघ ठेका निरस्त कर सकता है। कर्मचारियों का नियोजन शासकीय नियमों के पालन के साथ होना द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष यह सूनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा नियोजित कर्मचारी वांछित कार्य को करने की अर्हता रखता है।

(15) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

(16) द्वितीय पक्ष बिना महासंघ की अनुमति के विपणन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता। अचानक वाहन खराब होने पर अपरिहार्य स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वैकल्पिक वाहन से वितरण संपादन की छुट रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है। ठेके की अवधि में यदि द्वितीय पक्ष किसी दिन वाहन दूध वितरण करने में असफल रहता है तो उस दिन के आदेशित दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपभोक्ता दर पर राशि दंड स्वरूप परिवहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी तथा उस दिन के परिवहन देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर यदि महासंध वैकल्पिक व्यवस्था कर वितरण कार्य संपन्न कराता है तो ऐसी प्रत्सेक घटना पर इस व्यवस्था में हुये अतिरिक्त व्यय की राशि दस हजार रूपये के अर्थदंड के साथ वसूल की जावेगी । रास्ते में वाहन खराब होने पर वाहन टेकेदार को अपनी जिम्मेदारी तथा व्यय पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा दूध/दुग्ध पदार्थ को निश्चित जगह पर निर्धारित समय पर पहुॅचना होगा। ऐसी परिस्थिति में हुए नुकसान की कोई प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा नहीं की जावेगी। व्यवस्था में विलंब होने पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ की गुणवत्ता खराब होने से इनकी राशि परिवहन ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
द्वितीय पक्ष मार्ग पर अनुबंधित वाहन का ही उपयोग करेगा। निविदा में वांछित क्षमता की इंसुलेटेड वाहन ही लगानी होगी। वाहन खराब होने पर भी वैकल्पिक वाहन समान क्षमता की इंसुलेटेड वाहन ही होना चाहिए। बिना अनुमति के वाहन बदलने पर देयक से 50 प्रतिशत राशि कटौत्रा की जायेगी एवं समस्त हर्जाने का जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होगा। अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम 3 दिनों के लिये निविदा नियम एवं शर्तों की कंडिका क्रमांक 8 के अनुरूप कार्यवाही करते हुये उपयुक्त क्षमता की सामान्य वाहन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संचालित की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति निर्मित होने का दस्तावेजी प्रमाण वैकल्पिक व्यवस्था के आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(17) वितरण वाहन ठेकेदार को वितरण कार्य समय पर संपादित करना आवश्यक होगा। सामान्य स्थिति में वाहन अंतिम पाईन्ट पर प्रातः 7 बजे तक पहुॅचना आवश्यक होगा । 7.15 के बाद वाहन पहुॅचने पर उस दिन का परिवहन देयक नहीं दिया जावेगा।

(18) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष प्रथम पखवाड़े का देयक दिनांक 20 को एवं द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा करना सुनिश्चित करेगा। आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि शासकीय नियमानुसार परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी। साथ ही समय–समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तद्नुसार कटौती की जावेगी।

(19) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। वाहन संचालन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।

द्वितीय पक्ष को वाहन अनुबंध प्राप्त होने के 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादो का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। साथ ही दुग्ध विपणन वाहन पर दुग्ध महासंघ का सम्पर्क मोबाईल नंबर लिखवाना होगा।

(20) अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही उपयोग किया जावेगा।

(21) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा विक्रय केन्द्र संचालको, संस्था प्रतिनिधि, महासंघ के कर्मचारियों व अन्य के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर महासंघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी। कार्यवाही नहीं करने की दशा में परिवहन ठेका समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा मार्ग में विक्रय केन्द्रों के कर्मियों, अन्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन–देन नहीं किया जावेगा। इसके उपरांत यदि लेन–देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

(22) महासंघ एवं संयंत्रों द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक, चालान आदि नियमित रूप से ले जानी, लानी होगी।

(23) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 5000/– (अक्षरी रूपये पांच हजार मात्र) हस्तातंरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तांतरित कर सकेगा। इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा। अनुबंध तिथी से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तातंरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(24) वाहन लोडिंग के बाद यदि इसमें वितरण शीट से अधिक संख्या में मिल्क क्रेट, कैन, दूध पैकेट, दुग्ध उत्पाद पैकेट पाए जाते हैं, तो निम्नानुसार राशि का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा :–

अ. अतिरिक्त क्रेट एवं कैन की वास्तविक राशि

ब. पाए गयें अतिरिक्त दूध/दुग्ध पदार्थ की उपभोक्ता दर पर राशि का दस गुना

(25) रास्ते मे मिलावट करते हुए/दूध बेचते हुए/चोरी करते हुए पकड़े जाने पर नुकसान की वसूली एवं जुर्माना जो कि उत्पादों की उपभोक्ता दर का न्यूनतम 10 गुना होगा किया जायेगा। ऐसी गलती दोबारा होने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी। दस्तावेजों में कोई भी हेराफेरी करने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

(26) द्वितीय पक्ष के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व इस वजह से यदि महासंघ या इसकी किसी इकाई/संस्था को हानि होती है, तो वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी।

(27) डेयरी की परिधि के अन्दर आने वाली वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा।

(28) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे। ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों मे स्वयं करनी पड़ेगी। इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी। अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर अनुपातिक दर से परिवहन दर में वृद्धि/ कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
जीप	15
टाटा ए.सी.ई.	22
महेन्द्रा मैक्स	15
डी.आई. 207	15
पिकअप	15
टाटा 407	10

(29) विशेष परिस्थितियों में दूध की मात्रा कम होने पर अस्थाई तौर (अपरिहार्य कारणों से) पर दुग्ध मार्ग को बंद किया जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में कोई किराया/क्लेम देय नहीं होगा।

(30) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा। यदि तीन माह पूर्व की सूचना नहीं दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(31) द्वितीय पक्ष को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा। दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा वह लाइसेंसशुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा। यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलबित होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे के विक्रय केन्द्रों/संस्थाओं को उनके सम्पर्क नंबरो पर देनी होगा।

(32) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(33) महासंघ को निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार रहेगा। इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।

(34) उपरोक्त शर्तों का पालन करने तथा महासंघ द्वारा समय–समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का पालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

(35) वाहन लगाने से पूर्व आवश्यक विज्ञापन पेन्ट करवाकर संबंधित अधिकारी को वाहन की हालत चेक करवानी होगी। इनकी स्वीकृति के पश्चात ही वाहन लगाया जा सकेगा। विज्ञापन निर्धारित अवधि तक नहीं लगवाने पर रू. 100.00 प्रतिदिन आर्थिक दण्ड भी लगाया जावेगा।

(36) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्कता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सके।

(37) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी। साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारियॉ/मुआवजा की जवाबदारी अकेले द्वितीय पक्ष पर ही होगी।

(38) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय–समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होंगे। ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई.एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी। यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौत्रा के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा। ठेका समाप्त होने पर वाहन ठेकेदार को समस्त देयताएं पूर्ण करने का शपथपत्र देना होगा।

(39) द्वितीय पक्ष अपनी निविदा अवधि पूर्ण होने से पूर्व वाहन संचालन बंद करता है, तो अनुबन्ध अवधि में वैकल्पिक वाहन लगाने से बकाया निविदा अवधि तक की हुई समस्त हानि की वसूली वाहन ठेकेदार के बकाया परिवहन बिलों व धरोहर राशि इत्यादि से की जावेगी एवं यदि इसके बाद में भी राशि बकाया निकलती है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित वसूली की कार्यवाही करेगा।

(40) प्राकृतिक विपदा व हड़ताल जैसे कारणो से अथवा अन्य किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा देय नहीं होगा।

(41) बूथ, एजेंट अथवा दुग्ध वितरक से तात्पर्य मार्ग मे वर्तमान मे चल रहे प्वाइन्ट, बूथ, वितरण केन्द्र तथा भविष्य में महासंघ द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले प्वाइंट से होगा। उनको आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।

(42) द्वितीय पक्ष को छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा बूथ एजेंट, वितरक, संस्था आदि के लिए प्रदायित दूध/दुग्ध पदार्थ प्रदाय करना होगा। दुग्ध वितरण वाहन ठेकेदार को अपने स्तर पर मॉग वितरण में परिर्वतन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(43) बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था को दूध देने के पश्चात मात्रा प्राप्ति की रसीद वाहन ठेकेदार को संबंधित से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित के अधिकृत प्रतिनिधि को देनी होगी। प्राप्ति की रसीद बूथ एजेंट/एजेंसी/वितरक/संस्था के हस्ताक्षरयुक्त नहीं होने पर यदि दूध/दुग्ध पदार्थ की मात्रा के संबंध में विवाद हुआ तो अंतर की राशि वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(44) अनुबन्ध की शर्तों को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध की शर्तों मे परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसे परिवर्तनों की सूचना निविदाकार को दी जायेगी, एवं निविदाकार को तदानुसार वाहन संचालन करना होगा।

(45) इस अनुबन्ध एवं इसकी शर्तों में समय–समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के नियमों विनियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकती है जिसे द्वितीय पक्ष मानने को बाध्य होगा।

(46) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को उनके परिवहन देयक की राशि हस्तांतरण हेतु स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।

(47) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए। वाहन चालकों की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाकर दोषियों को सेवा से पृथक किया जाना होगा। वाहन चालक मद्यपान कर कार्य पर आने की स्थिति में रू. 5,000/– का अर्थ दण्ड किया जावेगा। ऐसी स्थिति के सत्यापन के लियें प्रथम पक्ष के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया पंचनामा पर्याप्त आधार होगा। ऐसी स्थिति पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को तत्काल दूध वितरण हेतु अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी।

(48) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध विपणन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो उस पाली का परिवहन देयक देय नहीं होगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

(49) किसी दुग्ध संयंत्र में अवरोध होने पर विपणन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

(50) विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाये जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। 03 तीन से अधिक पर कटौत्रा 50 प्रतिशत किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंधित वाहन नहीं लगाया जाता है, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

(51) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनिमय 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(52) डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने–धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा।

(53) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. ..... संबंध ..... उम्र ..... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित वारिस घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. .... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।

(54) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ, इसकी इकाइयों, संस्थाओं, व्यवसायिक साझीदारों आदि की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।

(55) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि यह खराब हो जाता है तो 24 घंटो में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

(56) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ या अन्य को कोई हानि होगी तो द्वितीय पक्ष उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवे।

(57) दुग्ध विपणन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा दर में ही सम्मिलित हैं। निविदा खोलने की तिथी के बाद प्रारंभ हो रहें टोल टेक्स की राशि की प्रतिपूर्ति महासंघ द्वारा इनकी रसीदे संलग्न करने पर की जायेगी।

(58) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा।

(59) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।

(60) दुग्ध विपणन परिवहन हेतु अनुबंध की कंडिकाएं 01 से 59 तक मैने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है जो मुझे मान्य एवं बंधनकारी है।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ———————— को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि 15000/– (अक्षरी पंन्द्रह हजार रूपये मात्र) मात्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला जिला–दुर्ग के कार्यालय में रसीद क्रमांक ———————— दिनांक ———————— को बैक ड्राफ्ट/नगद द्वारा जमा किया गया ।

मैं ..... द्वितीय पक्षकार अनुबंध की कंडिकाओं का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

प्रबन्ध संचालक/प्रतिनिधी
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

अनुबन्धकर्ता
नाम ————————————
पता ————————————
————————————
————————————

गवाह प्रथम पक्ष

1– हस्ताक्षर————————
नाम ————————————
पता ————————————
————————————

2– हस्ताक्षर————————
नाम ————————————
पता ————————————

गवाह द्वितीय पक्ष

1–हस्ताक्षर————————————
नाम ————————————
पता ————————————
————————————

2–हस्ताक्षर————————————
नाम ————————————
पता ————————————

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी————————————————————

द्वितीय पक्ष से संबंध –.....

नामाकिंत उतराधिकारी के हस्ताक्षर– .....

नामाकिंत उतराधिकारी का स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.) .....

अनुबंध कर्ता के सत्यापन हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

दुग्ध वितरण मार्ग का विवरण

क्र.	मार्ग क्र.	मार्ग विवरण	अनुमानित दूरी किलो.	भार क्षमता टन	शहर
1	1	उरला–रायपुर–उरला	80	2.0	रायपुर शहर एवं आस–पास
2	2	उरला–रायपुर–उरला शाम पाली द्वितीय वाहन	70	1.5	रायपुर शहर एवं आस–पास
3	3	उरला–भिलाई–जुनवानी–उरला	90	1.5	भिलाई सेक्टर एरिया
4	6	उरला–दुर्ग–उरला	100	3.0	दुर्ग शहर, आदर्श नगर पुलगांव
5	12	उरला–राजिम–गरियाबंद–उरला	270	2.0	अभनपुर, थनौद, चम्पारणय, राजिम, गरियाबंद
6	20	बिलासपुर शाम पाली	60	1.5	बिलासपुर शहर एवं आस–पास
7	21	बिलासपुर–सीपत–बिलासपुर	100	1.5	बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. सीपत
8	22	बिलासपुर–मंगला चौक–सकरी–बिलासपुर	60	1.5	बिलासपुर– मंगला चौक–सकरी बिलासपुर
9	27	बिलासपुर–कोरबा–बिलासपुर	280	4.0	कोरबा, बाल्को
10	39	कटघोरा से बैंकुंठपुर	296	2.0	कटघोरा–बैंकुंठपुर एवं आस–पास
11	44	उरला–मंदिर हसौद–अटल नगर–उरला	110	3.0	रायपुर, नया रायपुर
12	46	अंबिकापुर–बैकुंठपुर–अंबिकापुर (एक दिन के अंतराल में)	160	1.5	अंबिकापुर–बैकुंठपुर–अंबिकापुर
13	48	मुख्य संयंत्र उरला हेतु प्रातः पाली में स्टैंडिंग वाहन	––	2.0	आवश्यकतानुसार